29/04/25 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर / दौरे पर है अन्य कार्यों में व्यस्त है। अत दिनांक 09/05/25 को पेश हो।

8-5-25 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है / दौरे पर है दीगर कार्यों में व्यस्त है। अत दिनांक 14-5-25 को पेश हो।

14/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी क्र. 2 से 11 को न्यायहित में कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं किन्तु जवाब पेश नहीं आज तक। जवाब बंद किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की। बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 22 / 2024
जीसीएमएस नंबरः— 2024 / 62

प्रार्थीः—

1. तुलछाराम पुत्र श्री बाबूराम
2. खींयाराम पुत्र श्री सुजाराम
3. श्रीमती मुनकी पत्नी श्री बाबूराम
4. मोडाराम पुत्र री बाबूराम
5. नत्थी पुत्री बाबूराम
6. श्रीमती जमनी पत्नी मुकनाराम
7. पूराराम पुत्र मुकनाराम
8. बलराम पुत्र मुकनाराम
9. मालाराम पुत्र मुकनाराम

सभी जातियान भील, निवासी भीलों का बास, दईकड़ा तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।
2. पुखाराम पुत्र माधाराम
3. नेमाराम पुत्र माधाराम
4. धर्माराम पुत्र माधाराम
5. जमूडी पत्नी माधाराम
6. समदूड़ी पत्नी चैनाराम
7. पांचूडी पत्नी जगाराम
8. हनुमान पुत्र जगाराम
9. ममता पुत्री जगाराम
10. ममता पुत्री जगाराम
11. निरमा पुत्री जगाराम

निवासीगण भीलों का बास, दईकड़ा तह. व जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी</u>

<u>—::आदेश::—</u>

दिनांकः— 14.05.2025

उपस्थितिः— 1. श्री सत्यनारायण गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सुरेश खत्री अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 से 11 की ओर से।
3. तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 298 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसरा सं. 311 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा गांव दईकड़ा पटवार हल्का दईकड़ा जिस पर प्रार्थीण संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त भूमि के मूल खातेदार सुजा, बक्शा पुत्र अमान है। उक्त खेत खसरा के संबंध में सेटलमेंट के समय से बक्शा सुजा पुत्र अमान, रावत पुत्र लाल के नाम से जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

संवत् 2027 से 2030 तक में व खेवट खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 में इनका नाम चला आ रहा है। तत्पश्चात् खतौनी बंदोबस्त संवत् 2031 से 2034 नामा. के समय बक्शा सुजा पिता अमान के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि बक्शा पुत्र सुजा दर्ज हो गया है। सुजा की मृत्यु उपरांत बक्शा का नाम रह गया। बक्शा की मृत्यु के बाद नामा. सं. 320 को स्वीकार करते हुए मादाराम, चैनाराम पिता बक्सा दर्ज कर लिया गया। माधाराम चैनाराम की मृत्यु के पश्चात् नामा. सं. 824 व 825 को स्वीकार करते हुए मादाराम, चैनाराम के वारिसान का नाम दर्ज हो गया। यह सब पटवारी के सहवन से संवत् 2031 से 2034 में बक्शा पुत्र अमान के स्थान पर बक्सा पुत्र सुजा दर्ज हो गया। संवत् 2031 से 2034 के बाद क्रमवार जमाबंदियों में बक्सा के वारिसान का नाम आता गया व सुजा के वारिसान का नाम छुटता गया, जो केवलमात्र लिपिकीय त्रुटिवश हुआ जिसे कभी भी सुधारा जा सकता है। प्रार्थीगण के दादा सुजा का नाम वक्त सैटलमेंट से लेकर खतौनी बंदोबस्त में भी बक्सा, सुजा, पुत्र अमान भील देय खातेदार के नाम से दर्ज था। सुजा व बक्सा दोनों अमान के पुत्र हैं। दोनों भाई है परंतु दोनों को पिता पुत्र बना दिया गया है। लिपिकीय त्रुटिवश पटवारी के सहवन से नामा. की कार्यवाही करते समय गलत इन्द्राज दर्ज हो गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर खसरा सं. 298 व 311 में प्रार्थीगण का नाम उसके हिस्से तक इंद्राज कर प्रार्थीगण को बतौर खातेदार स्थापित किया जावे एवं पूर्व में दर्ज बक्सा पुत्र सुजा, मादाराम, चैनाराम पिता बक्सा पिता सुजा को तर्क किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 11 को जवाब हेतु उचित अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 14.05.2025 को इनका जवाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों के संबंध में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जोधपुर द्वारा रिपोर्ट में कथन किया गया कि तथ्यों के संबंध में आस–पड़ौस व सरपंच से पूछताछ करने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 से 11 का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना बताया गया। खतौनी बंदोबस्त खाता सं. 211 खसरा सं. 298 व 311 में रावत वल्द लाला बगसा सूजा पि. अमोन जाति भील सा. देह खातेदार है। पर्चा खतौनी में रावत वल्द लाला, बगसा वल्द अमोन, सूजा वल्द अमोन जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2027/30 खाता सं. 204 खसरा सं. 298 व 311 मतें भाना चन्दा पि. रावत, बगसा सूजा पि. अमान जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज है जमाबंदी संवत् 2031–34 खाता सं. 264 खसरा सं. 298 व 311 में भाना चन्दा पि. रावत, बगसा पि. सूजा जाति भील दर्ज हुआ। नामा सं. 320 विरासत द्वारा बगसा फौत के स्थान पर मादा चेना पि. बगसा दर्ज हुआ तथा सूजा का नाम इसके बाद हट गया। नामा. सं. 824 विरासत द्वारा मानाराम पि. बक्साराम फौत के सथान पर पुकाराम धर्माराम नैनाराम पि. मालाराम झमूडी बेवा माधाराम दर्ज हुआ । नामा सं. 825 विरासत द्वारा चैनाराम पि. बक्साराम फौत के स्थान पर जगाराम पि. चेनाराम समदुडी बेवा चेनाराम दर्ज हुआ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2031–34 में लिपिकीय त्रुटि बगसा, सूजा पि. अमान के स्थान पर बगसा पि. सूजा हुआ। जो शुद्ध किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 से 11 को बहस हेतु अवसर दिया गया। उपस्थित नहीं। बहस प्रार्थीगण सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, ततहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिए जाते हैं कि पटवार हल्का दईकड़ा, तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 298 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा सं. 311 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा की भूमि में बगसा, सुजा पि. अमान किया जावे। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 15/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर